

प्रेषक,

एच०पी० शिंह
विशेष सचिव
उम्मीद शासन।

सेवा मैं,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उम्मीद, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्नयन कार्यक्रम विभाग।

लघुनाम : दिनांक : ३) जुलाई, 2015

भवय शहरी गरीबों के लिये अन्पसंधयक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से इन-सीट आवासों की ०१ परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पार संख्या-1015/178/10/उ./विविध/आसरा/तकनीकी (हमीरपुर-कुरारा 229) दिनांक 12 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अन्पसंधयक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-हमीरपुर नगर की तिकाय-कुरारा की ४४ इन रीट आवासों की ०१ परियोजना हेतु ₹ ० ४३९.१७ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राहित, तालिका के रत्नभ-७ में अंकित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि ₹ ० २१९.५८५ लाख (रुपये दो करोड़ उन्नीस लाख अट्टावन हजार पाँच सौ चार) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्त्यों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(प्रत्यारूप लाख रुपये में)

क्र०	जनपद/ सं० विकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	भवयशापना सुविधाओं सहित परियोजना की गुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थीयों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थीयों के आवश्यकना सुविधाओं सहित परियोजना वर्ग कुल आवासीय लागत।	प्रथम किश्त (५० प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाए वाली धनराशि (सेन्ट्रेज चार्ड एवं लेवर सेस कुल आवासीय लागत।)
1	2	3	4	5	6	7
१	हमीरपुर/ कुरारा योग	229	1097.25	84	439.17	219.585
				84	439.17	219.585

- उपर धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निदेश विषयक शासनादेश संख्या- ३३/६९-१-१३-१४(३१)/२०१२टीसी(सी), दिनांक १६ जलवरी, २०१३ एवं शासनादेश संख्या-१८३३/६९-१-१४-१४(३१)/२०१२टीसी(सी) दिनांक ०९ सितम्बर, २०१४ में दिये गये दिशा-निदेश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारूप करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय १२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सहम रत्नर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा उसकम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

13. स्थीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते ये पी०एल००० में नहीं रखी जायेगी। स्थीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राती के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राती का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र य राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में स्थीकृत उत्तर धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि अवगुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को चापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०४०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवगुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम०३०००५००) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दूड़ा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान रांछ्या 37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "४२१६-आवास पर गूंजीगत परियोग-आयोजनागत-०२-शहरी आवास-८००-अन्य व्यय-०३-आवास योजना (आवासीय भवन)-२४-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-२/२०१५/वी-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३०.०३.२०१५ व सामय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

अवटीय,

(एच०पी० सिंह)
विशेष शाचिय।

संख्या- /२०१५/१५४०(१)/६९-१-१५, तदिनांक।

प्रतिलिपि लिखनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, २० सरोजवी नायदू भार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, रथानीय निपी लेखा परीक्षा विभाग, ३०४०, छठां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/उर्द्वगत, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हमीरपुर।
5. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य योगाधिकारी, जगहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक देव मास्टर, सूडा को विभागीय देव साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड पाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)
विशेष शाचिय।

13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपार्टमेंट खाते व पी0एल040 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नागत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम के द्वारा व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अविद्यार्थी विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का प्रयान रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि दद्य हो जाने के पश्चात् तथा उसके सामेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को संग्रह रो उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित आवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का जिलाल महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावत्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0य०) लिप्पादित किये जाने हेतु सूझा दागा सम्बन्धित फूडा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का दद्य चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-दद्यक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक “4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यव-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य दद्य-03-आसा योजना (आवासीय भवन)-24-शुद्ध निर्माण कार्य” के लामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दरा-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समाय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

अवदीय,
hps/
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-718/2015/1540(1)/69-1-15, तस्तिकांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचितार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं इकट्ठारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, रथानीय लिपि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठ्यां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुक्त कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हमीरपुर।
5. वित्त (दद्य-नियंत्रण) अनुभाग 8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूझा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/वजट रागव्ययक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।